तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राजकार्य से मीटिंग शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि. ... को पेश हो।
23/8/22-	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि जवाब प्रश्नावली रिपोर्ट जवाब पत्रावली में दा० का० है अत: प्रकरण निर्णय पारित करावे। प्रकरण में संलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय लिखवाया जाकर दा० का० किया गया। पत्रावली नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी इटावा

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार (आर.ए.एस)

09/2020 तारीख दायरा 04.04.2022 तारीख फैसला 23/8/2022

बउनवान

1– बलवान उर्फ रामचरण पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी बालूपा तहसील पीपल्दा,जिला कोटा।
2– उमेश कुमार उर्फ रामचरण जाति मीणा निवासी बालूपा तहसील पीपल्दा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– जुगल किशोर
2– रामलखन
3– महावीर
4– गिर्राज प्रसाद
5– अमरलाल पुत्रान रामचन्द्र जाति मीणा निवासी बालूपा तह0 पीपल्दा
6– जलेबीबाई
7– कमलेश बाई
8– बरफीबाई
9– गायत्रीबाई पुत्रिया रामचन्द्र जाति मीणा निवासी बालूपा तह0 पीपल्दा।
10– द्रोपती बाई
11– कंचनबाई बेंवा रामचन्द्र जाति मीणा निवासी बालूपा तह0 पीपल्दा
12– राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्पदा जिला कोटा।

– अप्रार्थीगणं

प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 23/8/2022

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाके ग्राम बालूपा पटवार क्षैत्र एवं भू0अ0निरीक्षक रामपुरिया धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा के खाता सं. नई 139 पुरानी 138 की खन. 64 की 1.38 एवं 71 की 3.01 है0 95 की 0.01 है0 178 की 1.21 है0 ख.न. 430 की 0.18 है0 447 की 0.05 है0 542 की 1.73 है0 कुल किता 7 की कुल रकबा 8.47 है0 कृषि आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी गण कम 1 लगायत 11 के संयुक्त खातें की आराजी चल रही हैं

यह है कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बलवान के स्थान पर रामचरण एवं उमेश कुमार के स्थान पर धनश्याम दर्ज चला आ रहा है जब कि प्रार्थीगण को बचपन से ही बलवान उर्फ रामचरण एवं उमेश कुमार उर्फ धनश्याम के नाम से जाना जाता हैं प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद जर्ये फोती नामान्करण में हल्का पटवारी द्वारा सहवन से सामान्य प्रचलन के नाम रामचरण व धनश्याम को ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थीगण को राजस्व संबधित समस्त कार्य में काफी परेशानी का सामना उठाना पडता है जिसे दुरस्त करवाने को प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रहचान कार्ड,भामाशाह कार्ड,राशनकार्ड एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की तहरीर प्रार्थना पत्र के समर्थन में संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कृषि आराजी के ...कार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम से रामचरण के स्थान पर बलवान व धश्याम के स्थान पर उमेश ...र्ज किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 ता ... बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार पीपल्दा की ओर से जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण के खाते की आराजी में प्रार्थीगण का नाम दुरस्त फरमाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाये जाने के आदेश पारित फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अ0धा0 136 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाके ग्राम बालूपा पटवार क्षैत्र एवं भू0अ0निरीक्षक रामपुरिया धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा के खाता सं. नई 139 पुरानी 138 की खन. 64 की 1.38 एवं 71 की 3.01 है0 95 की 0.01 है0 178 की 1.21 है0 ख.न. 430 की 0.18 है0 447 की 0.05 है0 542 की 1.73 है0 कुल किता 7 की कुल रकबा 8.47 है0 कृषि आराजी में प्रार्थीगण का नाम रामचरण के स्थान पर बलवान व धनश्याम के स्थान पर उमेश कुमार दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। विवादित आराजीयात् यदि रहनभार हो तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....23/08/2022.... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा